

Rajasthali Law Institute
Prelims test series
Indecent Representation, Indian
Evidence, ipc, crpc-5

1) महिलाओं का अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 कब से प्रवर्तन में है? / Since when is the Indecent representation of Women (Prohibition) Act 1986 in force?

- (a) 2 अक्टूबर, 1986 से / Since October 2, 1986
- (b) 2 अक्टूबर, 1987 से / Since October 2, 1987
- (c) 10 दिसम्बर, 1987 से / Since December 10, 1987
- (d) 5 जनवरी, 1988 से / Since January 5, 1988

2) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर कब हुए- / When was the President's signature on the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act-

- (a) 25 अक्टूबर, 1986 / October 25, 1986
- (b) 23 दिसम्बर, 1988 / 23 December 1988
- (c) 25 जनवरी, 1985 / January 25, 1985
- (d) 23 दिसम्बर, 1986 / 23 December 1986

3) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का विस्तार कहाँ पर है- / Where does the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 extend to-

- (a) जम्मू कश्मीर पर / on Jammu and Kashmir
- (b) सम्पूर्ण भारत पर / whole of the india
- (c) उपर्युक्त दोनों / both of the above

(d) इनमें से कोई नहीं / none of these

4) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम का उद्देश्य क्या है? / What is the purpose of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act?

- (a) महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना / providing security to women
- (b) लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण / protection from sexual harassment
- (c) विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन लेखन, रंग-चित्र या आकृतियों में महिलाओं के अशिष्ट रूपण को प्रतिषिद्ध करना। / Prohibiting the indecent representation of women through advertisements or in publications, writings, drawings or figures.
- (d) उपरोक्त सभी / all of the above

5) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत शब्द "विज्ञापन" में क्या सम्मिलित किया गया है, जिसका आशय दृश्य रूपण है? / Under Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 in the word "advertisement" what has been included, which means visible representation?

- (a) सूचना अथवा परिपत्र / Notice or circular
- (b) प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण/Any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas
- (c) लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज / Label, wrapper or other document
- (d) उपरोक्त सभी /All of the above

6) महिला की आकृति, शरीर या उसके किसी अंग का चित्रण अशिष्ट रूपण कहा जायेगा जिसका प्रभाव - / The depiction of a woman's figure, body or any part of her is said to be indecent representation whose effect is -

- (a) अशिष्ट हो / indecent

- (b) महिलाओं के लिए अपमानजनक और निन्दनीय हो / derogatory or denigrating to women
- (c) लोक नैतिकता को भ्रष्ट या विकृत करने वाला हो / to deprave, corrupt or injure the public morality or morals.
- (d) उपर्युक्त सभी / All of the above

7) महिलाओं का अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में 'लेबल' के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है / In the Indecent representation of Women (Prohibition) Act, 1986, 'Label' does not include -

- (a) कोई लिखित / any written
- (b) कोई चिन्हित / any marked
- (c) फोटोग्राफिक रूपण / photographic representation
- (d) छपी हुई या रेखाचित्रिय सामग्री / printed or graphic matter

8) 'पैकेज' के अन्तर्गत क्या सम्मिलित नहीं है / What is not included under 'Package' -

- (a) बॉक्स / box
- (b) स्लाइड / slide
- (c) टीन या अन्य पात्र / Tin or other container
- (d) कार्टन / Carton

9) महिलाओं का अशिष्टरूपण करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशनों पर निम्न में से कौन-सी धारा रोक लगाती है? / Which of the following section prohibits publication of advertisements which are indecent representation of women?

- (a) धारा 5/ Section 5
- (b) धारा 4/ Section 4
- (c) धारा 3/ Section 3
- (d) धारा 2/ Section 2

Estd. 2008

10)शास्त्रि संबंघित प्रावधान किस धारा में परिभाषित किये गये Penalty related provision defined in which section

- (a) धारा 6 / Section 6
- (b) धारा 7 / Section 7
- (c) धारा 8 / Section 8
- (d) धारा 9 / Section 9



Estd. 2008

11) यदि कोई व्यक्ति, कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट

है, प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करवाएगा अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा या उसमें भाग लेगा, तो उसे क्या दण्ड दिया जाएगा? / If a person shall publish, or cause to be published, or arrange of take part in the publication or exhibition of, any advertisement which contain indecent representation of women in any form, then what punishment shall be inflicted on him?

(a) दो वर्ष तक का कारावास एवं दो हजार रुपये तक जुर्माना / Imprisonment upto two

years and fine upto two thousand rupees

(b) एक वर्ष तक का कारावास एवं तीन हजार रुपये तक जुर्माना /

Imprisonment upto one years and fine upto one thousand rupees

(c) पांच वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक

जुर्माना / Imprisonment upto five years and fine upto five thousand rupees

(d) तीन वर्ष तक का कारावास एवं तीन हजार रुपये तक जुर्माना /

Imprisonment upto three years and fine upto three thousand rupees

12). निम्नलिखित में क्या महिलाओं का अशिष्टरूपण के अंतर्गत आता है- / Which of the following comes under indecent representation of women-

(a) प्राचीन संस्मारक पर उत्कीर्ण मूर्ति / Idol inscribed on the ancient monument

(b) मन्दिर में रखी गयी मूर्ति / The idol kept in the temple

(c) (a) एवं (b) दोनों / (a) and (b) both

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं / none of the above

Estd. 2008

13) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत जहाँ किसी स्थान में पाए गये किसी रिकॉर्ड, रजिस्टर का परिक्षण कौन कर सकेगा /

Who may examine any record register under The Indecent Representation of Woman (Prohibition) Act, 1986

- (a) राजपत्रित अधिकारी / Gazetted Officer
- (b) पुलिस अधिकारी / Police Officer
- (c) जिला मजिस्ट्रेट / District Magistrate
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

14) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्थान पर प्रवेश एवं तलाशी लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? / Who has the power to enter and search the place contravening the Act?

- (a) राज्य सरकार को / to the State Government
- (b) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी हो / a gazetted officer authorized by the State Government
- (c) केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को / to any gazetted officer authorized by the Central Government
- (d) या तो (b) या तो (c) / either (b) either (c)

15) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी किसी प्राइवेट निवास गृह की तलाशी/प्रवेश कर सकेगा / A gazetted officer authorized under section 5 of the Act may search / enter any private residence -

- (a) बिना वारण्ट के / without warrant
- (b) वारण्ट के साथ / With warrant
- (c) परिस्थितियों पर निर्भर / Depends on the circumstances
- (d) या तो (b) या तो (c) / either (b) either (c)

16) धारा 5 के अंतर्गत प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी अभिगृहीत वस्तु के बारे में सूचना यथासंभव शीघ्र किसे देगा? / To whom shall the Gazetted

Officer authorized under section 5 inform about the seized article as soon as possible?

- (a) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को / to the sub-divisional magistrate
- (b) जिला मजिस्ट्रेट को / to the District Magistrate
- (c) निकटतम मजिस्ट्रेट को / to the nearest magistrate
- (d) सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को / to the Magistrate concerned

17). महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 से संबंधित सभी अपराधों की प्रकृति क्या होगी?/What shall be the nature of all the offences relating to Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986?

- (a) असंज्ञेय एवं जमानतीय / Non-cognizable and bailable
- (b) संज्ञेय एवं जमानतीय / Cognizable and bailable
- (c) असंज्ञेय एवं अजमानतीय / Non-cognizable and non-bailable
- (d) संज्ञेय एवं अजमानतीय / Cognizable and non-bailable

18) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी / No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or any State anything which is done or intended to be done Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986?

- (a) तत्काल/Promptly
- (b) सद्भावपूर्वक / In good faith
- (c) कठोरता से / Strictly
- (d) ईमानदारी से /Honestly

19) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के उपबंधों की पूर्ति करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए कौन सशक्त है? / Who has been empowered to make rules, by notification in the Official Gazette, to carry out the provisions of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986?

- (a) संसद/Parliament
- (b) उच्च न्यायालय/High Court
- (c) राज्य सरकार/State Government
- (d) केन्द्रीय सरकार / Central Government

20) महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम के तहत धाराओं की कुल संख्या कितनी है?/What is the total number of Sections under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act?

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 12

21) महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 7 के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा किए गए अपराध के मामले में व्यक्तियों का दायित्व क्या है?/According to Section 7 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, what is the liability of individuals in case of an offence committed by a company?

- a) अपराध के लिए केवल कंपनी उत्तरदायी है, उससे जुड़े व्यक्ति नहीं।/Only the company is liable for the offence, not the individuals associated with it.

- b) केवल कंपनी के प्रभारी व्यक्ति ही उत्तरदायी हैं, कंपनी स्वयं नहीं।/Only the individuals in charge of the company are liable, not the company itself.
- c) कंपनी के प्रभारी व्यक्ति और स्वयं कंपनी दोनों को अपराध का दोषी माना जाता है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है।/Both the individuals in charge of the company and the company itself are deemed guilty of the offence and can be punished accordingly.
- d) कंपनी से जुड़े व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यदि वे साबित करते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था।/The individuals associated with the company cannot be held liable if they prove that the offence was committed without their knowledge.

22) महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखने की प्रक्रिया क्या है/What is the procedure for laying down the rules made under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 before the Parliament?

- a) नियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।/The rules are not required to be presented before the Parliament.
- b) नियमों को मंजूरी के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और यदि दोनों सदन सहमत होते हैं, तो वे प्रभावी हो जाते हैं।/The rules are presented before the Parliament for approval, and if both Houses agree, they become effective.
- c) नियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, और वे 30 दिनों के बाद स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाते हैं।/The rules are presented before the Parliament, and they automatically become effective after 30 days.

d)नियमों को अनुमोदन के लिए राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।/The rules are presented before the State Legislatures for approval.

23)महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम का उद्देश्य क्या है?/What is the objective of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act?

1. विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के अभद्र चित्रण पर रोक लगाना/To prohibit indecent representation of women through advertisements
2. प्रकाशन के माध्यम से महिलाओं के अभद्र चित्रण पर रोक लगाना/To prohibit indecent representation of women through Publication
3. 1 और 2 दोनों/Both 1 and 2
4. केवल 1/Only 1

24)महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा "महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व" शब्द को परिभाषित करती है?/Which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 defines the term "indecent representation of women"?

- a) धारा 2(ए)/Section 2(a)
- b) धारा 2(बी)/Section 2(b)
- c) धारा 2(सी)/Section 2(c)
- d) धारा 3/Section 3

25)महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगाती है?/Which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 prohibits the publication of books containing indecent representation of women?

- a) धारा 3/Section 3
- b) धारा 4/Section 4
- c) धारा 5/Section 5
- d) धारा 6/Section 6

26) निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व शामिल है, जिसे महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के प्रावधान से छूट दी गई है?/Which of the following containing indecent representation of women is exempted from the provision of Section 4 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986?

- a) फिल्म जो जनता की भलाई के लिए उचित साबित हो/Film which is proved to be justified for the public good
- b) प्राचीन स्मारक पर कोई प्रतिनिधित्व/Any representation on ancient monument
- c) कोई भी मंदिर/Any temple
- d) उपरोक्त सभी/All the above

27) महिलाओं के अभद्र चित्रण वाले किसी भी विज्ञापन को जब्त करने की शक्ति महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की किस धारा के तहत प्रदान की गई है?/Power to seize any advertisement containing indecent representation of women has been provided under which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986?

- a) धारा 5/Section 5
- b) धारा 6/Section 6
- c) धारा 7/Section 7
- d) धारा 8/Section 8

Estd. 2008

28)क्या महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत राजपत्रित अधिकारी को निजी आवास गृह में प्रवेश के लिए वारंट की आवश्यकता होती है?/Do the gazetted officer under Section 5 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 requires a warrant for entering into a private dwelling house?

- a) हाँ/Yes
- b) नहीं/No
- c) हाँ, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यथाशीघ्र प्रवेश की आवश्यकता है/No, if circumstances are such that the entry is required as soon as possible
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above

29)जब कोई राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत महिलाओं के अभद्र चित्रण वाले किसी विज्ञापन को जब्त करेगा तो वह किसे सूचित करेगा?/To whom shall the gazetted officer inform when he seizes any advertisement containing indecent representation of women under Section 5 of the Act?

- a) निकटतम मजिस्ट्रेट/Nearest Magistrate
- b) राज्य सरकार/State Government
- c) केंद्र सरकार/Central Government
- d) दोनों (ए) और (बी)/Both (a) and (b)

30)महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है?/Which section of

the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 provides the penalty for contravention of the provisions of Section 3 or Section 4 of the Act?

- a) धारा 5/Section 5
- b) धारा 6/Section 6
- c) धारा 7/Section 7
- d) धारा 8/Section 8

31) महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है?/Which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 deals with offence by companies?

- a) धारा 7/Section 7
- b) धारा 8/Section 8
- c) धारा 9/Section 9
- d) धारा 10/Section 10

32) महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की कौन सी धारा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सद्भावना से की गई कार्रवाइयों की रक्षा करती है?/Which section of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 protects the actions taken in good faith by the Central Government or State Government under the Act?

- a) धारा 7/Section 7
- b) धारा 8/Section 8

- c) धारा 9/Section 9
- d) धारा 10/Section 10

33)क्या कोई राजपत्रित अधिकारी धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई महिलाओं के अभद्र चित्रण वाली पेंटिंग को जब्त कर सकता है?/Can a gazetted officer seize a painting containing indecent representation of women which is kept for religious purposes?

- a) हाँ/Yes
- b) नहीं/No
- c) मामले दर मामले पर निर्भर करता है/Depends on case to case
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above

34) महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?/What is the maximum amount of fine which can be imposed on a person who contravenes the provisions of Section 3 or Section 4 of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 on second conviction?

- a) दस हजार रुपये/Ten thousand rupees
- b) पच्चीस हजार रुपये/Twenty-five thousand rupees
- c) एक लाख रुपये/One lakh rupees
- d) दस लाख रुपये/Ten lakh rupees

35) महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की अधिनियम संख्या है:-/Act No. of Indecent

Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 is :-

- (a) 1987 का 38/38 of 1987
- (b) 1987 का 44/44 of 1987
- (c) 1986 का 60/60 of 1986
- (d) 1986 का 70/70 of 1986

36)A एक खेत में कुदाल लेकर काम कर रहा है। कुदाल का लोहे का सिरा उछट जाता है आर एक व्यक्ति को लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है-/A is working in a field with a spade. The iron head of the spade flies off and hits a person who dies-

- (a) A पर किसी भी अपराध का अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। / A cannot be prosecuted of any offence
- (b) A पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। / A can be accused of murder
- (c) A पर हत्या के प्रयत्न का आरोप लगाया जा सकता है। / A can be accused of attempt to murder
- (d) A का कार्य अपराध नहीं है यदि यह पाया जाता है कि उसने उचित सावधानी बरती थी।/ A's act is not an offence if it is found that he had taken proper caution

37) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तारित है / Right of private defence extends to

- (a) केवल शरीर की प्रतिरक्षा / Defence of body only
- (b) संपत्ति की प्रतिरक्षा / Defence of property

(c) शरीर और संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा / Defence of both body and property

(d) कह नहीं सकते/cannot say



Estd. 2008

38) जब छह पुरुष और महिलाएं एक किशोर को चाकू दिखाकर तत्काल उपहति पहुंचाने का भय पैदा करके 1000 रुपये उद्दापित करते हैं, उनके द्वारा किया गया अपराध होगा: / When six men and women extort Rs. 1000 from a teenager putting him to fear of instant hurt by showing a knife, the offence(s) committed by them would be:

- (a) उद्दापन / Extortion
- (b) लूट / Robbery
- (c) डकैती / Dacoity
- (d) ये सभी / All these

39) "पीछा करना" का अपराध निम्न के अंतर्गत दंडनीय है- / The offence of "stalking" is punishable under-

- (a) धारा 354क आईपीसी / Section 354A IPC
- (b) धारा 354ख आईपीसी / Section 354B IPC
- (c) धारा 354ग आईपीसी / Section 354C IPC
- (d) धारा 354घ आईपीसी / Section 354D IPC

40) सिद्धान्त 'डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स' भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV के तहत किस साधारण अपवाद का आधार है? / The maxim 'de minimis non curat lex' is the foundation of which general exception under Chapter IV of the Indian Penal Code?

- (a) तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। / Act causing slight harm.
- (b) सात से कम आयु के शिशु का कार्य। / Act of child under seven years of age.

(c) सात से उपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। / Act of child above seven and twelve of immature understanding.

(d) विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। / Accident in doing a lawful act

41) मत्तता से प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है: / The defence of intoxication is not available:

(a) जहां व्यक्ति कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। / Where the person is incapable of knowing the nature of the act.

(b) जहां मत्तता स्वैच्छिक है। / Where the intoxication is voluntary.

(c) जहां व्यक्ति यह जानने में असमर्थ हो कि वह जो कर रहा है वह दोषपूर्ण है। / Where the person is incapable of knowing that what he is doing is wrong.

(d) जहां व्यक्ति यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है। / Where the person is incapable of knowing that what he is doing is contrary to law.

42) "A" जिसकी उम्र 19 साल है, अपनी बहन "B" जिसकी उम्र 6 साल है को सहयात्री की जेब काटने के लिए उकसाता है। जैसे ही "B" सहयात्री का पर्स उसके स्कूल बैग में रख देती है वह पकड़ी गई। हालाँकि, जब पर्स खोला गया, तो वह खाली पाया गया। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है: / "A" who is 19 years of age instigates his sister "B" who is 6 years of age to pick the pocket of a co-passenger. As soon as B' slips the purse of the co-passenger in her school bag she is

caught. However, when the purse is opened, it is found to be empty. In this case which one of the following statements is correct:

- (a) 'A' और 'B' ने कोई अपराध नहीं किया है। / 'A' and B' have committed no offence.
- (b) 'A' ने कोई अपराध नहीं किया है जबकि 'B' ने चोरी की है। / 'A' has committed no offence while B' has committed theft.
- (c) 'A' ने अपराध किया है और 'B' ने उसे दुष्प्रेरित किया है। / 'A' has committed an offence and B' has abetted the same.
- (d) 'B' कोई अपराध नहीं करता है और 'A' दुष्प्रेरण का दोषी है। / 'B' does not commit LAWY offence and 'A' is guilty of abetment.

43) भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था: /

Section 303 Indian Penal Code was struck down as unconstitutional by the Supreme Court in the case of:

- (a) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। / Bachan Singh v. State of Punjab.
- (b) मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। / Mithu v. State of Punjab.
- (c) बृजमोहन बनाम राजस्थान राज्य। / Brij Mohan v. State of Rajasthan.
- (d) मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य। / Machhi Singh v. State of Punjab.

44) 'A', एक सरकारी कर्मचारी ने अपने घर के सहकर्मी के कार्यालय से एक फ़ाइल निकाला, इसे एक बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध कराया

और फिर उसी दिन शाम को इसे कार्यालय में वापस लौटा दिया। 'A' निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी है: /'A', a government servant removed a file from his colleague's office of his house, made it available to an outsider and then returned it back to the office the same day in the evening. 'A' is guilty of which of the following offence:

- (a) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग / Criminal misappropriation of property.
- (b) चोरी/Theft.
- (c) आपराधिक न्यासभंग / Criminal breach of trust.
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above.

45)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा पर विचार किया गया था:/Which of the following sections in the Indian Penal Code was dealt with in the judgment of the Supreme Court in Navtej Singh Johar v. Union of India:

- (a) धारा 376/Section 376
- (b) धारा 377/Section 377
- (c) धारा 420/Section 420
- (d) धारा 302/Section 302

46)यह मुद्दा कि क्या आईपीसी की धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार इस मामले में निर्धारित किया गया था:/The issue whether section 497 IPC is violative of Article 14 and

Article 15 of the Constitution was decided by the Supreme Court for the first time in the case of:

- (a) यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य / Yusuf Abdul Aziz v. State of Bombay
- (b) सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ / Sowmithri Vishnu v. Union of India
- (c) वी. रेवती बनाम भारत संघ / V.Revathi v. Union of India
- (d) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ / Joseph Shine v. Union of India

47)2018 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी न्यायालयों को निम्नलिखित मामलों में आईपीसी की धारा **228-क** के संदर्भ में पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण नहीं करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए: / **The Supreme Court in 2018 observed that every attempt should be made by all the courts not to disclose the identity of the victim in terms of Section 228-A IPC in the case of:**

- (a) ललित यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य / Lalit Yadav v. The State of Chhattisgarh
- (b) देव सिंह बनाम पंजाब राज्य / Dev Singh v. State of Punjab
- (c) रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य / Ratan Lal v. State of Madhya Pradesh
- (d) सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य/Sunil kumar v. State of Bihar

48)2017 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आईपीसी की धारा **375** के अपवाद **2** का सार्थक रूप से पढ़ा: " किसी पुरुष का अपनी

स्वयं की पत्नी के साथ, मैथुन या यौन क्रिया यदि पत्नी अठारह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।" / **The Supreme Court in 2017 read down Exception 2 to Section 375 IPC to be meaningfully read as: "Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under eighteen years of age, is not rape," in the case of:**

(a) इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ/Independent Thought v. Union of India

(b) सामाजिक न्याय एवं अनुसंधान के लिए संगठन बनाम भारत संघ I /Association For Social Justice & Research v. Union of India.

(c) न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर (लाजा देवी) बनाम राज्य / Court on its LAW Motion (Laja Devi) v. State

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं। / None of the above.

49) बहुत गंभीर परिणामों के ज्ञान के साथ किया गया कोई कार्य, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, आईपीसी की धारा 300 के खंड (4) के तहत अपने आप में हत्या नहीं बन जाता है, इसके अलावा यह दिखाया जाना चाहिए कि: / An act resulting in death done with the knowledge of its very serious consequences does not by itself become murder under clause(4) of Section 300 I.P.C., It must further be shown that:

(a) अभियुक्त यह तथ्य जानता था कि इससे मृत्यु कारित हो जायेगी। / The accused had some knowledge about the fact that it will cause death.

(b) भले ही अभियुक्त परिणामों के बारे में जानता था, उसने मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य किया। / Even though the accused knew about the consequences, he did the act without any excuse for incurring the risk of causing death.

(c) अभियुक्त के पास अपने द्वारा किये गये कार्य के लिए कोई वैध प्रतिहेतु नहीं था। / The accused had no valid excuse for the act done by him.

(d) उसका आशय पीड़ित को मारने का था क्योंकि पीड़ित में कुछ ऐसे गुण थे जो समाज के मानदंडों के विरुद्ध थे। / His intention was to kill the victim as the victim had certain qualities which were against the norms of the society. Activate

50) 'A', अपने उन्मत्त बेटे 'B' की खातिर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सम्मति देता है (जो सजन बताता है कि 'B' की जान बचाने के लिए जरूरी है), यह ज्ञान रखते हुए कि ऑपरेशन से 'B' की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ऐसा आशय नहीं है। 'A' किस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है: / 'A' for the sake of B, his insane son gives consent for an open heart surgery (which the Surgeon informs is essential to save 'B's life), knowing that the operation will likely cause the death of 'B' but not intending so. 'A' falls within the general exception provided in:

- (a) धारा 86 आईपीसी/Section 86 IPC
- (b) धारा 87 आईपीसी/Section 87 IPC
- (c) धारा 88 आईपीसी/Section 88 IPC
- (d) धारा 89 आईपीसी/Section 89 IPC

51) निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है? / Which of the following is an offence under the Indian Penal Code?

- (a) राज्य लॉटरी न होने वाली किसी भी लॉटरी को निकालने के उद्देश्य से एक कार्यालय रखना। / Keeping an office for the purpose of drawing any lottery not being a State lottery.
- (b) किसी ऐसे व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना जिसके बारे में व्यक्ति जानता हो कि यह अश्लील पुस्तकें विक्रय के लिए है। / Receiving profits from a business which the person knows is for making obscene books to be sold.
- (c) 19 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु विक्रय करना। / Selling an obscene object to a person aged 19 years.
- (d) उपरोक्त सभी / All the above.

52) जमानतीय अपराध से आशय है: / Bailable offence means:

- (a) जहां जमानत हासिल करना अधिकार है/Where to get bail is right
- (b) जहां जमानत प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य है/ Where to give bail is duty of the court
- (c) जिसे द.प्र.सं. की पहली अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है, अथवा जिसे किसी समय प्रभावी विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। / Which is shown as bailable in the First

Schedule of the Cr.P.C. or which made baliable by any other law for time bei in force

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं/ None of the above

53)Chapter 8 of Indian evidence act deals with

?/भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 8 किससे संबंधित है?

a)Burden of proof/सबूत का भार

b)Estoppel/विबंध

c)Of the examination of witness/गवाह की परीक्षा का

d)None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

54)Case:-Pickard v/s Sears related to which chapter of

Indian evidence act?/केस:- पिकार्ड बनाम सियर्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय से संबंधित है?

a)Chapter 6/अध्याय 6

b)Chapter 7/अध्याय 7

c)Chapter 8/अध्याय 8

d)Chapter 9/अध्याय 9

55)In estoppel A person has made any declaration,act or omission

Such declaration related to any ?/विबंधन में किसी व्यक्ति

ने कोई घोषणा, कार्य या चूक की है

ऐसी घोषणा से संबंधित है किसी ?

a) Law/ कानून

b) Fact/तथ्य

c) Both (a) and (b)/दोनों (ए) और (बी)

d)None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

56) A Judge or Magistrate cannot, except on the special order of court to which he is subordinate, be compelled to answer any question

—/एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उस अदालत के विशेष आदेश को छोड़कर, जिसमें वह है, ऐसा नहीं कर सकता अधीनस्थ, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हो -

(a) As to the conduct of any party/किसी भी पार्टी के आचरण के संबंध में

(b) As to the conduct of any witness/किसी भी गवाह के आचरण के संबंध में

(c) As to his own conduct/उसके अपने आचरण के संबंध में

(d) All the above/ उपरोक्त सभी

57)Under section 130 of the Evidence Act, a witness who is not a party to a suit -/साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 के तहत, एक गवाह जो किसी मुकदमे का पक्षकार नहीं है -

(a) Cannot be compelled to produce his title deed or any documents which might tend to

criminate him unless the court orders him to produce the

same./उसे अपने स्वामित्व विलेख या किसी भी दस्तावेज का

उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

जब तक अदालत उसे इसे पेश करने का आदेश नहीं देती तब तक उसे दोषी ठहराएं।

(b) Cannot be compelled to produce his title deed or any documents which might tend to

criminate him unless he has agreed orally to produce the same./ उसे अपने स्वामित्व विलेख या किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक वह मौखिक रूप से इसे प्रस्तुत करने के लिए सहमत न हो जाए, तब तक उसे दोषी ठहराएं।

(c) Cannot be compelled to produce his title deed or any documents which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce the same./उसे अपने स्वामित्व विलेख या किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक वह इसे प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में सहमत न हो जाए, उसे दोषी ठहराएं।

(d) Cannot be compelled to produce his title deed or any documents which might tend to criminate him unless the court orders him to produce, or he has agreed in writing to produce the same./उसे अपने स्वामित्व विलेख या किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक अदालत उसे पेश करने का आदेश न दे, या उसने लिखित में सहमति न दे दी हो, तब तक उसे दोषी ठहराएं।

58)Under section 148 of the Evidence Act, such questions are proper if the imputation

conveyed by them would seriously affect the —/साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि आरोपण किया जाए उनके द्वारा व्यक्त किये गये संदेश गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे -

- (a) Opinion of the party as to the credibility of the witness./गवाह की विश्वसनीयता के बारे में पार्टी की राय।
- (b) Opinion of the court as to the credibility of the parties./पार्टियों की विश्वसनीयता के बारे में अदालत की राय।
- (c) Opinion of the court as to the credibility of the parties and their witnesses./पार्टियों और उनके गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में अदालत की राय।
- (d) Opinion of the court as to the credibility of the witness./गवाह की विश्वसनीयता के बारे में अदालत की राय।

59)When a witness answers any question which is relevant in so far it shakes his credit –/जब कोई गवाह किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है जो अब तक प्रासंगिक है तो यह उसकी साख को हिला देता है -

- (a) Evidence can be given to corroborate him./उसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं।
- (b) Evidence can be given to contradict him./उसके खंडन के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं।
- (c) Evidence can be given to contradict him and if he answers falsely, he may be charged with for giving false evidence./उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है और यदि वह गलत उत्तर देता है, तो झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया जाएगा
- (d) Evidence cannot be given so as to contradict him but if he answers falsely, he may

be charged with for giving false evidence./उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि वह गलत उत्तर देता है, तो झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया जाएगा।

60). Under section 166 of the Indian Evidence Act

—/भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत -

(a) A juror or assessor may put any question to any party, through or by leave of the judge, which the judge might put and which he considers proper./एक जूरर या मूल्यांकनकर्ता किसी भी पक्ष से, उसके माध्यम से या उसकी अनुमति से, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जिसे न्यायाधीश उचित समझता है और पूछ सकता है

(b) A juror or assessor may put any question to a witness, through or by leave of the judge, which the judge might put and which he considers proper./ एक जूरर या मूल्यांकनकर्ता किसी गवाह से, उसके माध्यम से या उसकी अनुमति से, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जिसे न्यायाधीश उचित समझता है और पूछ सकता है

(c) A juror or assessor may put any question to any party or to a witness, through or by leave of the judge, which the judge might put and which he considers proper./एक जूरर या मूल्यांकनकर्ता किसी भी पक्ष या गवाह से, उसके माध्यम से या उसके माध्यम से कोई प्रश्न पूछ सकता है जिसे न्यायाधीश उचित समझता है और पूछ सकता है

(d) A juror or assessor may put any question to any party or to a witness, which the judge might put and which he considers proper./एक जूरर या मूल्यांकनकर्ता किसी भी पार्टी या गवाह से कोई प्रश्न पूछ सकता है, जिसे न्यायाधीश उचित समझता है और पूछ सकता है

61)According to which section of the Indian Evidence Act, 1872, no police officer will be compelled to say where he got any information about the commission of any crime?/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली ?

- (a) Section 125/(a) धारा 125
- (b) Section 126/(b) धारा 126
- (c) Section 127/(c) धारा 127
- (d) Section 128/(d) धारा 128

62)Which of the following is not a privileged communication?/ निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है?

- (a) Matrimonial communication/(a) वैवाहिक संसूचना
- (b) Paternity communication/(b) पितृत्व संसूचना
- (c) Business communication/(c) व्यावसायिक संसूचना
- (d) Official communication/(d) शासकीय संसूचना

63) Which of the following statements is incorrect? If the court, on presentation of a charge sheet in respect of a non-cognizable offence, finds the accused guilty, the court shall- /निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है? एक असंज्ञेय अपराध के बाबत अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी निर्णीत करे तो न्यायालय-

(a) Can sentence the accused with imprisonment/अभियुक्त को कारावास का दण्ड दे सकता है

(b) Can fine the accused/अभियुक्त को अर्थदण्ड कर सकता है

(c) The accused can recover from the plaintiff the expenses incurred by him in the case or his part thereof./अभियुक्त से अभियोगी को उनके द्वारा प्रकरण में किया गया व्यय या उसका अंश दिला सकता है

(d) The accused can be punished with both imprisonment and fine./अभियुक्त को कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों से दण्डित कर सकता है

64) Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides that a court will not change the decision after signing it? /दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न में से कौन-सी धारा यह प्रावधान करती है कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं करेगा?

(a) Section 360/धारा 360

(b) Section 361/धारा 361

(c) Section 362/धारा 362

(d) Section 462/धारा 462

65) According to the proviso to Section 372 of the Code of Criminal Procedure, the victim does not have the right to present an appeal from the order passed by the court -/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अनुसार पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है -

- (a) To acquit the accused/अभियुक्त को दोषमुक्त करने
- (b) To be convicted for the lesser offence/न्यूनतम अपराध के लिए दंडसिद्ध करने
- (c) Imposing inadequate compensation/अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने
- (d) Passing inadequate sentence/अपर्याप्त दंडादेश पारित करने

66) Signatures of at least how many High Court judges are required to confirm the death penalty?/मृत्यु दण्ड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है?

- (a) one/ एक
- (b) two/दो
- (c) three/तीन
- (d) five/ पांच

Estd. 2008

67) When the Sessions Court sends to the High Court for confirmation of the death sentence then High

Court?/सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजे जाने पर उच्च न्यायालय :

- (a) Can confirm the sentence./दण्डादेश की पुष्टि कर सकता है।
- (b) Can cancel the sentence./दण्डादेश को रद्द कर सकता है।
- (c) Can pass any other sentence as per law./विधि-सम्मत अन्य दण्डादेश पारित कर सकता है।
- (d) All of the above./उपर्युक्त सभी।

68) Which of the following sections of the Crpc provides for the power of the High Court to confirm the sentence or annul the conviction?/दं.प्र.सं. की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है?

- (a) Section 366/धारा 366
- (b) Section 367/ धारा 367
- (c) Section 369/ धारा 369
- (d) Section 368/धारा 368

69) In the proceedings of confirmation of death sentence, the High Court has the right to/मृत्युदण्डादेश की पुष्टि की कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह

- (a) Confirm only the death sentence or pass any other sentence/केवल मृत्युदण्डादेश की पुष्टि करे या अन्य दण्डादेश दे
- (b) Only convict the accused for some other offence./केवल अभियुक्त को किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध करे

- (c) Only acquit the accused person/अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोषमुक्त करे
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

70) Which of the following statements is not correct?/निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है?

- (a) The death sentence passed by the Sessions Court is subject to confirmation by the High Court./सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्डादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के विषयाधीन होता है
- (b) The death sentence passed by the Sessions Court can be confirmed by the High Court only if there are at least two judges in the bench hearing the case. If such court consists of two or more judges./सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा तब ही की जा सकती है जबकि प्रकरण की सुनवाई कर रही पीठ में कम से कम दो न्यायाधीश हो यदि ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हो
- (c) No order for confirmation of the death sentence can be made before the expiry of the time period for presenting the appeal./अपील प्रस्तुत करने की समयावधि के अवसान के पूर्व मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि का आदेश नहीं किया जा सकेगा
- (d) The High Court, while considering the confirmation of the death sentence, cannot acquit the accused if no appeal has been filed by the accused challenging the death sentence./उच्च न्यायालय मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि पर विचार करते हुए, यदि अभियुक्त द्वारा उस मृत्यु दण्डादेश को चुनौती

देने हेतु अपील नहीं की गई है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकती है।



Estd. 2008

Answer key

- 1-b
- 2-d
- 3-b
- 4-c
- 5-d
- 6-d
- 7-c
- 8-b
- 9-c
- 10-a
- 11-a
- 12-d
- 13-a
- 14-b
- 15-b
- 16-c
- 17-b
- 18-b
- 19-d
- 20-b
- 21-c



राजस्थली

Estd. 2008

22-b
23-c
24-c
25-b
26-d
27-a
28-a
29-a
30-b
31-a
32-c
33-b
34-c
35-c
36-d
37-c
38-c
39-d
40-a
41-b
42-d
43-b
44-b
45-b
46-a
47-a
48-a



राजस्थली

Estd. 2008

49-b
50-d
51-d
52-c
53-b
54-c
55-b
56-c
57-c
58-d
59-d
60-b
61-a
62-b
63-d
64-c
65-d
66-b
67-d
68-d
69-d
70-d



Estd. 2008



Estd. 2008